न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/09/2019	13–03–2019	27–06–2019

1– खिलाड़ी पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी ग्राम पावटा तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1– भगवान पुत्र केवल जाति जाटव निवासी ग्राम पावटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

2– किरण पुत्र सुलतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पावटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

3– लखन पुत्र खिलाड़ी जाति मीना निवासी ग्राम पावटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील प्रार्थी
02. श्री बी.आर. सैनी –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार कठूमर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी भगवान बनाम किरण वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी तथा तरतीबी अप्रार्थी के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत प्रा0पत्र पेश किया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त में चली आ रही है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी से साज–बाज हो गये है। इस कारण निस्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया व दिनांक 05.03.2019 को गलत तौर पर साक्ष्य बन्द कर दी गई। दिनांक 12.03.2019 को पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी से कहां की तुम चाहे जहां चले जाओ मैं अप्रार्थी को कब्जा दिलाने व तुमको बेदखल करने का निर्णय करूंगा। पीठासीन अधिकारी ने मनमाना रवैया अपनाया हुआ है। प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निस्पक्ष न्याय एवं निर्णय की उम्मीद नहीं है। पत्रावली बउनवान भगवान बनाम किरण अन्तर्गत धारा 183बी आरटीएक्ट को न्यायालय तहसीलदार कठूमर से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि मुन्तकिल प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार कठूमर से न्याय की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया है। जबकि तहसीलदार कठूमर द्वारा विधिवत् तरीके से साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य बन्द करने की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार से —

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

साज–बाज नहीं हुए है। फिर भी यदि उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार कठूमर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कठूमर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावली में तारीख पेशीयों में पर्याप्त समय दिया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे व मनघडंत है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार कठूमर में विचाराधीन प्रकरण भगवान बनाम किरण वगै0 को न्यायालय तहसीलदार लक्षमनगढ में मुन्तकिल किया जाता है। तहसीलदार कठूमर तत्काल उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय तहसीलदार लक्षमनगढ को भिजवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)